

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) 2026

-: दिशा-निर्देश :-

सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक. प.17(30)/2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026 के लिए आयोज्य परीक्षा हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों/संगठनों/कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व/कार्य हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
- कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।
- परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।
- आवश्यकतानुसार पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर समस्त डाइट से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवंटन करना।
- परीक्षा को लेकर बजट प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार नोडल एजेन्सी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना।
- नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

2. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT), उदयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- परीक्षा हेतु सभी विषयों के दक्षता आधारित मॉडल पेपर (द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में भाषायी विषयों के अतिरिक्त) तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करना तथा विभिन्न विभागीय सोशल मीडिया ग्रुप पर प्रचारित करना।
- परीक्षा हेतु दक्षता आधारित (Competency Based) प्रश्न-पत्र बुकलेट निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना।
- मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं आरक्षित हेतु सभी विषयों के तीन सेट दक्षता आधारित प्रश्न-पत्र बुकलेट द्विभाषी-हिन्दी व अंग्रेजी में (भाषायी विषयों के अतिरिक्त) का निर्माण करना।
- आवश्यकतानुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तकों के सैट (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/संस्था/संगठन को उपलब्ध करवाना।
- बैठकों, कार्यशालाओं वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
- नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग देना।

3. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के कार्य एवं दायित्व:-

- i. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE Board पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाइट डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व शत प्रतिशत प्रविष्टि/संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना।
- ii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व तक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना। निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।
- iii. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में SA-3 के स्थान पर आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश आवश्यकतानुसार RSCERT उदयपुर, एवं एस. आई. क्यू. ई. अनुभाग, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के साथ मिलकर तैयार करना।
- iv. SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- v. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सम्भाग/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु). प्राशि/मा.शि./डाइट्स/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/विद्यालयों हेतु प्रसारित किये जाने वाले आदेश/सामग्री इत्यादि अधिकृत वेबपोर्टल (www.education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

4. NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के कार्य एवं दायित्व :-

- i. परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर) को तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाईन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।
- ii. शाला दर्पण पोर्टल पर परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाना।
- iii. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्रों को संशोधन करने/निरस्त कर नये आवेदन करने की सुविधा सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर करना।
- iv. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदनों की समेकित सूची छात्र/छात्रा वार तैयार करने हेतु तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध करना।
- v. परीक्षा केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारम्भ करवाना।
- vi. संग्रहण केन्द्रों की मैपिंग का मॉड्यूल सी.बी.ई.ओ. लॉगिन पर प्रारम्भ करवाना।
- vii. परीक्षा केन्द्र आवंटन करना एवं तदनुसार रोल लिस्ट परीक्षा केन्द्र/विद्यालय पर जारी करवाना।
- viii. प्रवेश पत्र (रोल नम्बर) विद्यालय/परीक्षा केन्द्र लॉगिन पर जारी करना।
- ix. आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि (सत्राक मॉड्यूल) की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर प्रदान करना।
- x. परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केन्द्रों के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना।
- xi. परीक्षकों की मैपिंग का मॉड्यूल सीबीईओ लॉगिन पर प्रारम्भ करवाना।
- xii. संग्रहण/मूल्यांकन केन्द्र लॉगिन पर प्राप्तांक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना।
- xiii. विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करवाना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना।
- xiv. टी. आर. (टेबुलेशन रजिस्टर) विद्यालय वार उपलब्ध करवाना।
- xv. डाइट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना।
- xvi. प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर, आरएससीईआरटी उदयपुर व पंजीयक स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करना।
- xvii. मुख्य परीक्षा आवेदन से पूर्व RTE विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर अद्यतन करना।
- xviii. पुनर्गणना कार्यों में पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर एवम् पूरक परीक्षा के कार्यों में डाइट को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
- xix. परीक्षा परिणाम जारी किये जाने/प्रमाण पत्र वितरित-किये जाने के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) का परिणाम का समस्त डाटा डिजिलॉकर एप पर लाइव

करने हेतु कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

5. कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के कार्य एवं दायित्व:-

- i. समस्त छः विषयों अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती) के प्रश्नपत्र बुकलेट, पूरक परीक्षा प्रश्नपत्र बुकलेट एवं वैकल्पिक प्रश्नपत्र बुकलेट का राज्य स्तर पर मुद्रण करवाना, समस्त डाइट को वितरित करवाना।
- ii. विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन, सफल आयोजन तथा प्रश्न पत्र बुकलेट की सुरक्षा के लिये अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी कराना।
- iii. यथा संभव अभिनव तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना। सग्रहण केन्द्रों का निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करवाना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, वीक्षकों/परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/नियुक्त करवाना, सत्रांक प्रविष्ट करवाना, मूल्यांकन करवाना, मूल्यांकन केन्द्र लोगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ट करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टीआर (टेबुलेशन रजिस्टर) तैयार करवाना, **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका** जारी करना, पुनर्गणना के आवेदन लेना, पुनर्गणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति में संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करवाना, परीक्षा से सम्बंधित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना।
- iv. सम्बन्धित आदेश/निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट (www.education.rajasthan.gov.in) एवं शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।
- v. परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।
- vi. परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकेंगे।
- vii. परीक्षा के दौरान दो राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन कर, परीक्षा का समुचित निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- viii. परीक्षा कार्य हेतु मेन विद मशीन के लिए समस्त डाइट को बजट उपलब्ध करवाना। (अधिकतम 6 माह हेतु)
- ix. परीक्षा परिणाम जारी किये जाने/ **प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका** वितरित किये जाने के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) का परिणाम का समस्त डाटा डिजिलॉकर एप पर लाइव करना।

6. शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व :-

- i. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।
- ii. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल जयपुर/निदेशालय प्रा.शि. राजस्थान, बीकानेर द्वारा परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग प्रदान करना।
- iii. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य डाइट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश/निर्देश जारी करेंगे।
- iv. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य डाइट) से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्राचार्य डाइट की

मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

7. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) के कार्य एवं दायित्व:-

- i. प्राचार्य डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे। प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्राचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फ़ैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।
- ii. परीक्षा की पूर्व तैयारियों, परीक्षा के संचालन एवं मूल्यांकन इत्यादि चरणों में उच्च स्तर पर एवं उच्चाधिकारियों के द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों/पत्रों, नोटिस तथा विविध प्रपत्रों/प्रारूपों को अविलम्ब ईमेल/व्हाट्सएप तथा अन्य उपयोगी संचार संसाधनों के माध्यमों से संबंधित समस्त यथा पीईईओ./यूसीईईओ./विद्यालयों/कार्मिकों/अभिभावकों तक प्रसारित करना।
- iii. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ शिक्षा संकुल जयपुर/निदेशालय प्रा.शि.राजस्थान, बीकानेर द्वारा परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी पंजीयक शिक्षा, विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को सहयोग करना।
- iv. राज्य नोडल एजेंसी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना।
- v. प्रश्न पत्र बुकलेट के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का विश्वसनीयता एवं गोपनीयता रखते हुए संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना।
- vi. परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर (एक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दो प्राचार्य डाइट व एक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के नेतृत्व में) परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- vii. परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/मैपिंग की मॉनीटरिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।
- viii. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना।
- ix. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग करवाना।
- x. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।
- xi. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।
- xii. परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्रमाण-पत्र सह ग्रेड तालिका मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।
- xiii. परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य ऑनलाइन सम्पादित करना।
- xiv. प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी एवं संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5-8/विविध/2022 दिनांक: 29/03/2023 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका की द्वितीय प्रति सशुल्क (100रु) जारी करना।

- xv. प्रमाण-पत्र सह ग्रेड तालिका में त्रुटिपूर्ण स्थिति यथा-परीक्षार्थी नाम, जन्मतिथि, माता, पिता का नाम, फोटो आदि संशोधन की स्थिति में परीक्षार्थी/अभिभावक/संस्था प्रधान के लिखित आग्रह पर प्राचार्य डाइट संशोधित कार्य संपादित करेंगे।
- xvi. समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

- ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे।
- परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी (प्राचार्य, डाइट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।
- ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन एवं बैठक आयोजित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को पोर्टल पर मैपिंग/निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों तथा परीक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना (केवल परीक्षा कार्य हेतु)
- प्राप्त प्रश्न पत्र बुकलेट एवं अन्य परीक्षा सम्बन्धी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों को वितरित करवाना एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षकों द्वारा समीपस्थ पुलिस थाने/पुलिस चौकी (पूर्ण सुरक्षा का बंदोबस्त हो) पर सुरक्षित रखवाना।
- मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य सम्पादित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केन्द्र से प्रत्येक विषय की पाँच-पाँच प्रश्न पत्र बुकलेट्स के मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना। प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर एक-एक विषय विशेषज्ञ राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना।
- पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक जाँच कि अपने परिक्षेत्र के समस्त परीक्षा केन्द्रों, संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा, के माध्यम से समस्त परीक्षा केन्द्रों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना।
- परीक्षा केन्द्रों से समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व का निर्वहन संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों/पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक के माध्यम से करना।
- अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों की प्रश्न पत्र बुकलेट्स को पुलिस थाने से लाने एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को वितरित करने की समस्त प्रक्रिया सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ./केन्द्राधीक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा-8) सेल का गठन किया जावे। जिसके अधीन ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति परीक्षा सम्बन्धी कार्य संपादित करेगी।
- मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्र बुकलेट्स की जाँच हेतु परीक्षकों का विषय वार निर्धारण एवं नियुक्ति करवाना।

9. ग्रेडिंग स्केल :-

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) 15 सितम्बर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार है -

स्केल	81-100	61-80	41-60	33-40	0-32
ग्रेड	A	B	C	D	E

- ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जायेगी एवं पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जावेगा।
- कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2026 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे।

- 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं।

10. सत्रांक निर्धारण :-

- शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के क्रमांक: - प.24 (10) शिक्षा-6 /2022 (Rajkaj -00427) दिनांक 05.08.2025 Rajkaj Ref No.17007011 एवं कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/पर्यावरण(36)/ वो-2/2025 दिनांक 20.08.2025 Rajkaj Ref No.17131702 की अनुपालना में विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंकीय प्रावधान के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
 - कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के क्रमांक : शिविरा / माध्य/गुण एवं प्रशि. अनु./ गुण. प्र/ प्रवेशोत्सव /22492/2024-25/ पार्ट-II Rajkaj Ref.No.16860555 दिनांक 29.07.2025 के आदेशानुसार मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) अर्न्तगत दक्षता आधारित आकलन (CBA)(एआई आधारित) कार्यक्रम (कक्षा तीन से आठ) लागू होने वाले विद्यालय में सत्रांक निर्धारण 2अ एवं 2ब के अनुसार होंगे।
- i. उपस्थिति के अंकों का निर्धारण :- सत्रांक के कुल 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति तथा 15 अंक शैक्षिक/परीक्षा गतिविधियों के निर्धारित हैं।
उपस्थिति के अंक निम्नानुसार होंगे—
65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति -3 अंक
76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति -4 अंक
86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति-5 अंक
- ii. विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंको का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधियां एवं वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 अ के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 (अ)

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु
विषय- हिन्दी, अंग्रेजी, गणित

क्र. सं.	नाम छात्रा/ छात्र	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	दक्षता आकलन (CBA) (एआई आधारित)	नो बैग डे गतिविधियां	वृक्षारोपण	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15 %)	उपस्थिति	योग सत्रांक
		10	10	50	20	9	1	100	15	5	20
1											
विषय- सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा											
		10	10	70 (अर्द्धवार्षिक परीक्षा)		9	1	100	15	5	20
1											
विषय- विज्ञान											
		10	10	70 (अर्द्धवार्षिक परीक्षा)		5	5	100	15	5	20
1											

- iii. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण :- CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक कक्षा कक्षीय प्रक्रिया प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 ब के अनुसार निर्धारित होंगे।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 (ब)

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु

विषय—हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा

क्र. सं.	आकलन क्षेत्र	शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया			प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि	व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां					सत्रांक				
	अधिगम क्षेत्र	लिखित आकलन (SA-1, SA-2)	पोर्ट फोलियो स्थिति	बैक लिस्ट अंकन	दक्षता आकलन (CBA) (एआई आधारित) हिन्दी,अंग्रेजी,गणित) / अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं तृतीय भाषा)	नियमितता एवं सम्पन्नता	धैर्यता, रचनात्मक एवं सुलेख सुधार	व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां	स्वच्छ एवं न्यायिक शिक्षा, स्वच्छता	नो बैग डे गतिविधियां	वृक्षारोपण	सर्वयोग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15 %)	उपस्थिति	योग सत्रांक
अंक	10	10	10	20	10	10	9	10	10	1	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															
विषय – विज्ञान															
अंक	10	10	10	20	10	6	9	10	10	5	100	15	5	20	
नाम छात्र/छात्रा															

- iv. अन्य विद्यालय जहाँ मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन (CBA) (एआई आधारित) (कक्षा तीन से आठ) लागू न हो में सत्रांक निर्धारण :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधियां एवं वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रपत्र-2 स के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे।

सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 (स)

विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु

विषय— हिन्दी,अंग्रेजी,गणित,सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा

क्र. सं.	नाम छात्रा / छात्र	प्रथम परख	द्वितीय परख	अर्द्धवार्षिक परीक्षा अंक	नो बैग डे गतिविधियां	कृत्रिमोपण	सर्व योग	कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक (सर्वयोग का 15%)	उपस्थिति	योग सत्रांक
		10	10	70	9	1	100	15	5	20
1										
विषय— विज्ञान										
		10	10	70	5	5	100	15	5	20
1										

सामान्य दिशा—निर्देश :-

- इस परीक्षा का नाम प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2026 (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2026) होगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधिप्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितम्बर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन सम्पादित होगी।
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.)/ICSE पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह दक्षता आधारित वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- दृष्टिहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2026 में भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसे परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं (CWSN) को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधा/शिथिलता उपलब्ध करवाने हेतु जारी प्रपत्र 33 अनुसार लाभ दिया जायेगा।
- राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू/सिन्धी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय के प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष विषय (सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित) के प्रश्न पत्र सम्बन्धित माध्यम में प्रदान किये जायेंगे।
- **उपस्थिति एवं उसकी गणना :-** कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।
- परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।
- **सानुग्रह अंक -** चूंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जायेगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक

के 5 प्रतिशत और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा।

- **पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। सी.बी.ई.ओ के माध्यम से पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा। समस्त डाइट में पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाये :-

1. **पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि** :- परीक्षा परिणाम घोषणा से 09 दिवस के भीतर।
2. डाइट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयावधि:- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
3. पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2026 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाना है।

परीक्षा संचालन समिति 33 जिला व्यवस्थानुसार

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्राचार्य, डाइट, संबंधित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जिला	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, संबंधित जिला	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक सम्बंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जिला प्रमारी अधिकारी, संबंधित डाइट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य

- नवीन जिला व्यवस्था में ऐसे नवीन 8 जिले जो पूर्व जिले से अलग/पृथक होकर बने हैं उसके लिये पूर्व (मूल जिला) जिले के प्राचार्य डाइट द्वारा उक्त परीक्षा संबंधित समस्त कार्य हेतु डाइट में पद स्थापित वरिष्ठ व्याख्याता को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

वरिष्ठ व्याख्याता नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा से समन्वय स्थापित कर परीक्षा के सफल संचालन हेतु कार्य करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा नवीन जिला आवश्यकता अनुसार परीक्षा संबंधित समस्त आदेश/निर्देश जारी करने हेतु अधिकृत होंगे।

नवीन जिलों में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति निम्नानुसार -

नवीन 8 जिलो हेतु परीक्षा संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग	मुख्य पर्यवेक्षक
2.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	जिला पर्यवेक्षक
3.	प्राचार्य, डाइट, संबंधित जिला	अध्यक्ष
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, संबंधित जिला	सदस्य
5.	वरिष्ठ व्याख्याता डाइट एवं प्राधिकृत अधिकारी मूल जिला डाइट	सदस्य
6.	सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक संबंधित संभाग द्वारा मनोनीत)	सदस्य
7.	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रमारी अधिकारी, मूल जिला डाइट	सदस्य सचिव
8.	समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मूल जिला	सदस्य

उक्त नवीन जिला स्तरीय समिति परीक्षा से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदना को मूल जिला समिति को आवश्यकता अनुसार अग्रेषित कर सकेगी।

- जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए जायेंगे।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2026 (कक्षा-8) की समस्त व्यवस्थाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 'ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति' का गठन किया जावे।
- इस समिति की बैठक सत्र में प्रत्येक डाइट स्तर पर बैठक होने के तत्काल पश्चात् की जानी है। (बैठकों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।)

ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन (परीक्षा) संचालन समिति

क्र.स	पदनाम	समिति में दायित्व
1.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	अति, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)	सदस्य सचिव
3.	ब्लॉक मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (CBEO द्वारा चयनित-1)	सदस्य
4.	संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्र के संस्था प्रधान	सदस्य
5.	ब्लॉक क्षेत्र के संस्था प्रधान, रा.उ.प्रा.वि. (जि.शि.अ.(मु.)) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा मनोनीत-2)	सदस्य
6.	लेखाकार-1	सदस्य

- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारु संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
- जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट्स की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्राचार्य डाइट द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर सम्पादित गतिविधियों का मूल्यांकन कर शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रधान द्वारा इनके मूल्यांकन प्रपत्रों को नियमानुसार ऑनलाइन प्रविष्टि की जावेगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी आवश्यक है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जाये :-
 1. प्रश्न पत्र बुकलेट प्राथमिकता अनुसार सर्वप्रथम थाने में यदि थाना परीक्षा केन्द्र के नजदीक ना हो तो नजदीक की पुलिस चौकी (सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त हो) में और यदि पुलिस चौकी भी नजदीक नहीं हो तो पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ राजकीय विद्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में प्रश्न पत्र बुकलेट रखने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की नियुक्ति कर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
 2. प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
 3. प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जाये। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र बुकलेट के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जाये।
- समस्त प्राचार्य, डाइट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय), से समन्वय स्थापित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विषयवार परीक्षकों का पैनाल तैयार करेंगे। पैनाल के विषय अध्यापकों से ही सम्बन्धित विषय की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन करवाया जावे।

- प्राचार्य, डाइट विषयवार परीक्षकों का पैनेल सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित करेंगे। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जाये। आदेश अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
- परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रश्न पत्र बुकलेट सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जायें।
- प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा० एवं मा० (मुख्यालय) जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सायंकाल अपने सम्भाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान बीकानेर के नियन्त्रक को प्रेषित करेंगे।
- जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की प्रश्न पत्र बुकलेट का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जाये। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाये।
- प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को ही लगाया जाकर उनसे निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाये।
- मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित प्रश्न पत्र बुकलेट डाइट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट को सुरक्षित रखा जावेगा। विवादित प्रश्न पत्र बुकलेट की नीलामी नहीं की जायेगी।
- भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2026 परीक्षा/पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 5 रु/कॉपी देय होगा। जिसका बजट आवंटन प्रारम्भिक शिक्षा के राज्यमद के उपमद 42 द्वारा होगा। जिसके लिए पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा।
- संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन/संग्रहण वितरण केन्द्रों को स्टेशनरी एवं अन्य खर्चों हेतु 2000 रुपये (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) प्रति केन्द्र को एकमुश्त राशि देय होगी। जिसका बजट आवंटन डाइट के बजट मद में राज्यमद के उपमद 42 से होगा तथा पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।
- मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केन्द्र से अधिकतम 15 कि.मी. की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।
- अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, यथा सम्भव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे, जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित हैं।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8), 2026 हेतु जो **राजकीय विद्यालय** संग्रहण केन्द्र होगा, उसी को मूल्यांकन केन्द्र भी माना जायेगा।
- संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या एवं केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम नहीं हो।
- परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर) के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे।

- परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान :-
1 मार्च, 2026 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की अध्यक्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।
- प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2:30 घण्टे होगा।

उपर्युक्तानुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। परीक्षा कार्य पंचांग, परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) एवं जारी दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु के सम्बन्ध में सार्वजनिक हित में आंशिक परिवर्तन, संशोधन एवं शिथिलन के लिए बतौर विभागाध्यक्ष निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर अधिकृत होंगे तथा ऐसे निर्णय परीक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों के हिस्से माने जायेंगे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर